सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 26 मार्च, 2015)

चतुर्थ विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज अंतिम दिन है । यह बजट सत्र दिनांक 2 मार्च, 2015 से 7 अप्रैल, 2015 तक आहूत था किन्तु परिस्थितिजन्य कारणों से निर्धारित तिथि से पूर्व यह सत्र आज सम्पन्न हो रहा है ।

इस बजट सत्र का आरंभ माननीय राज्यपाल श्री बलरामजी दास टण्डन के अभिभाषण से दिनांक 2 मार्च को हुआ । इस बजट सत्र में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों एवं सरकार के मध्य विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप एकाधिक अवसरों पर गतिरोध की स्थिति निर्मित हुई । फिर ऐसा लगा कि अब गतिरोध समाप्त हो गया है किन्तु कुछ अन्तराल के पश्चात् स्थितियॉ गतिरोध की ही बनी रही । इस सत्र में गर्भगृह में आने और सभा में नारेबाजी करने के जितने अवसर आये, मैं समझता हूं कि ये संसदीय परिपाटियों, परम्पराओं एवं संस्कृति के अनुकूल नहीं रहा ।

यह सदन वाद–विवाद, विचार–विमर्श और असहमति से सहमति की ओर पहुंचने का मंच है और मेरा यह मानना है कि जन–आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये मत–भिन्नता के बावजूद सहमति की ओर बढ़ने से ही जन–आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है ।

मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसी परिस्थितियॉ भविष्य में निर्मित न हों ।

इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, यद्यपि वैचारिक मतभेदों की वजह से इस सदन में अनेक अवसरों पर इस सदन की उच्च संसदीय परम्परायें आहत हुई है किन्तु पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य सद्‌भाव एवं समादर की भावना में किसी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ है और आने वाले समय में माननीय सदस्य संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं को पुष्ट करने के प्रति अपने संकल्प को पुनः दुहरायेंगे ।

वर्तमान सत्र बजट सत्र था और इस सत्र में राज्य का पैसठ हजार करोड़ से अधिक के बजट पर माननीय सदस्यों ने प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की एवं स्वीकृति दी । माननीय सदस्यों द्वारा बजट पर चर्चा किये जाने का यह प्रतिफल है कि आज इस सदन ने विनियोग विधेयक को भी पारित किया । इस सत्र में तृतीय अनुपूरक अनुमान को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।

इसके अतिरिक्त सदन में विभिन्न विधायी कार्य भी सम्पादित किए गए, साथ ही भारत सरकार द्वारा पारित ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 25)'' के प्रभावशील होने के फलस्वरूप ''सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 46)'' को निरसन किये जाने का संकल्प भी सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा :–

इस सत्र में कुल 17 बैठकों में लगभग 89 घण्टे चर्चा हुई । इन बैठकों में 174 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस सत्र में 1749 तारांकित प्रश्न एवं 1281 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 3030 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं । इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 663 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 115 सूचनाएं ग्राह्य हुईं । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 220 सूचनाएं प्राप्त हुई। शून्यकाल की 131 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 82 सूचनाएं ग्राह्य और 49 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में 212 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें 62 ग्राह्य, 121 अग्राह्य एवं 29 विचाराधीन हैं। माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 18 सूचनाएं दी गईं । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 19 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 1 घण्टा 28 मिनट तथा वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में

3 घण्टे का समय लगा जबकि अनुदान की मॉगों पर 42 घण्टे चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 1 घण्टा 15 मिनट चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रसारण सायं 4.30 से 5.30 बजे तक करने के साथ, विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं के साथ–साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में 1712 ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही सदस्यों के माध्यम से भी लगभग 6600 नागरिकों ने कार्यवाही देखी।

जैसा कि कल मैंने सदन को सूचित किया था कि वर्ष 2012–13 हेतु उत्कष्ट विधायक के रूप में श्री देवजी भाई पटेल, तत्कालीन सदस्य श्री हृदयराम राठिया तथा 5 वर्ष की कालावधि हेतु स्व. श्री नंद कुमार पटेल को जागरूक विधायक के तौर पर तथा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के श्री चन्द्रभूषण मिश्रा एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया ई.टी.ही. के रिपोर्टर श्री मनोज सिंह बघेल एवं कैमरामेन श्री मनीष गीते को पुरस्कृत किया जायेगा । इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं !

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में, मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूॅ । आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूॅ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी ।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परम्परा रही है, तद्नुसार आगामी मानसून सत्र जुलाई माह के तीसरे–चौथे सप्ताह में सम्भावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत्य संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ ।

– – –